अज अदालत — सहायक कलक्टर मुकाम —जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास — श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

श्री प्रकाश पिता मांगीलाल मीणा नि. उँचा तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री गिरीराज पिता जगदीश गुजराती नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
2. श्री प्रहलाद पिता कजोड कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द तह. जहाजपुर
3. श्री प्रभु पिता लालीया रेगर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द तह. जहाजपुर
4. श्री परमानन्द पिता लालीया रेगर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द तह. जहाजपुर
5. श्री मनोहर पिता लालीया रेगर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत — 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :— 529/2018 (154/17)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री महावीर सनाढय का मिनजानिब मुदई व श्री रितेश कांटिया, श्री शशिकान्त पत्रिया का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम पीपलुन्द प0 ह0 पीपलुन्द तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 2600/1, 2600/3, 2911/2594 कुल किता 3 रकबा 19.17 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 से 5 से कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 529/2018 (154/2017)
दायर दिनांक :– 19.07.2017

अनवान

श्री प्रकाश पिता मांगीलाल मीणा नि. उँचा तह0 जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री गिरीराज पिता जगदीश गुजराती नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
2. श्री प्रहलाद पिता कजोड कंजर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द तह. जहाजपुर
3. श्री प्रभु पिता लालीया रेगर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द तह. जहाजपुर
4. श्री परमानन्द पिता लालीया रेगर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द तह. जहाजपुर
5. श्री मनोहर पिता लालीया रेगर नि. सुभाषनगर पीपलुन्द तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री महावीर सनाढय, वकील वादी
2. श्री रितेश कांटिया, वकील प्रतिवादी सं. 1
3. श्री शशिकान्त पत्रिया, वकील प्रतिवादी सं. 2,4,5

:: निर्णय :: दिनांक 24.12.2019

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम पीपलुन्द प0 ह0 पीपलुन्द तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 2600/1, 2600/3, 2911/2594 कुल किता 3 रकबा 19.17 बीघा भुमि खातेदारी से वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर हर साल लगान जमा कराता आ रहा हैं। उक्त भुमि के प्रतिवादीगण पडोसी है जो लडाकू खूखांर प्रवृत्ति के हैं जो अपनी शक्ति के बल पर उक्त वादी की भुमि को छीनना चाहते है। व वादी की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते रहते है। वर्ष 2017 में उक्त वर्णित भुमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया। प्रतिवादी सं. 1 ने ख.न. 2911/2594 में से 1.01 बीघा में प्रतिवादी सं. 2 ने ख. न. 2911/2594 में से लगभग 2.02 बीघा में कब्जा करना प्रारम्भ कर दिया। प्रतिवादी सं. 3, 4, 5 ने लगभग 4 बिस्वा भूमि पर विधि विरूद्ध शक्ति के बल पर कब्जा कर लिया। उक्त भूमि पर कब्जा नही करने बाबत वादी ने प्रतिवादीगण से काफी निवेदन किया तथा कब्जा छुडवाने बाबत भी निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वह कब्जा नही छोडेगें। वादी ने उक्त भूमि की दिनांक 24.05.17 को नियमानुसार पत्थरगढी करवाई एंव प्रतिवादीगण को कब्जा छोडने बाबत निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण कब्जा छोडने से मना हो गये तभी से प्रतिवादीगण खुखार एव लडाकु प्रवृत्ति के व्यक्ति होकर गरीब किसानों की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने के आदि है। प्रतिवादीगण वादी के कब्जे

सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

काश्त की भूमि को शक्ति के बल जबरदस्ती नाजायज रूप से छीनना चाहता है। और वादी को बेदखल करना चाहता है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। इसलिये वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी स्वंय अथवा अपने नौकरों ऐजेन्टों या परिवाजनों के माध्यम से वाद पत्र में वर्णित भुमि के शांति पुर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करे, न करावे न वादी को बेदखल करें न करावे न कब्जा करने की कोशिश करे। ग्राम पीपलुन्द प0 ह0 पीपलुन्द में स्थित कृषि आ0 स0 2600/1, 2600/3, 2911/2594 कुल किता 3 रकबा 19.17 बीघा में से प्रतिवादी सं. 1 से 5 तक द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवा कर उक्त आराजी का कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की और से श्री रितेश कांटिया एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश किया गया। एंव प्रतिवादी सं. 2, 4, 5 की और से श्री शशिकान्त पत्रिया एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075, नकल नक्शा टीप तथा पत्थरगढी का मौका पर्चा की नकल की प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली किये गयें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया की वादी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पर शक्ति के बल पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया गया है। इस कारण उक्त भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान बताया की वाद पत्र में कुलिया तथ्य गलत है। जिससे वादी कोई सहायता जवाबदार के खिलाफ प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। जिससे वादी का वाद पत्र निरस्त कराना फरमावे। मैने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादी के खाते चली आ रही है। उक्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–75 से होती है। वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा मौके पर कब्जा कर लिया है। जो की वादी की खातेदारी की भूमि है। जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा से होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिससे न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम पीपलुन्द प0 ह0 पीपलुन्द तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 2600/1, 2600/3, 2911/2594 कुल किता 3 रकबा 19.17 बीघा में प्रतिवादी सं. 1 से 5 से कब्जा वादी को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। वादी को प्राप्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखंलदांजी न तो स्वंय करे व न ही नौकरों व ऐजेन्टों से करावे, इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:41:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: